न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—311/2018
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः—88 आरटीए

1. बिट्टू सिंह पुत्र लाल सिंह, जाति अराई, निवासी—मानकसर, तह0ः—संगरिया, जिला—हनुमानगढ़ (राज0)
2. सन्दीप सिंह पुत्र लाल सिंह, जाति अराई, निवासी—मानकसर,तह0ः—संगरिया, जिला—हनुमानगढ़ (राज0)

—वादीगण

बनाम्

1. लाल सिंह पुत्र धर्मचन्द, जाति अराई, निवासी—मानकसर, तह0ः—संगरिया, जिला—हनुमानगढ (राज0)
2. गुरप्रीत कौर पुत्री लाल सिंह, जाति अराई, निवासी—मानकसर, तह0ः—संगरिया, जिला—हनुमानगढ (राज0)
3. ओ.बी.सी.बैंक नगराना जरिये खा प्रबन्धक ओ.बी.सी.बैंक नगराना, तहसील—संगरिया, जिला—हनुमानगढ (राज.)
4. तहसीलदार (राजस्व) सगरिया, तहसील—संगरिया, जिला—हनुमानगढ़(राज0)
5. सीतो देवी पत्नी लाल सिह जाति अराई साकिन मानकसर तहसील संगरिया।

—प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

1. कपिल गोदारा, अधिवक्ता वादी
2. सुनील कुमार टाण्डी, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 2, 5
3. रवीन्द्र भोबिया, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 3

अधिवक्ता वादी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं0ः—01 व 02 आपस में संयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं0ः—01 वादीगण के पिता है। प्रतिवादी संख्या 02 वादीगण कि सगी बहिन है। प्रतिवादी सं0ः—01 के नाम से तहसील संगरिया के चक नं0ः—17 एम0के0एस0 की जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 के खाता सं0—49/40 में 0.352 है0 व संगरिया तहसील के चक नं0ः—18 एम0के0एस0 की जमाबन्दी सम्वत् 2071—74 के खाता सं0—53/47 में 0.521 है0 व चक नं0ः—16 एम0के0एस0 की जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 के खाता सं0—85/29 में 0.211 है. व चक नं0ः—16 एम0के0एस0 की जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 के खाता सं0—01/2 में 1.265 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिनकी जमाबन्दी संलग्न वाद—पत्र है।

वाद—पत्र की चरण सं0ः—02 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य घरू बंटवारनामा आपसी सहमति व रिश्तेदारों ने करवा दिया है। उक्त बंटवारनामा के रोज से ही वादीगण व प्रतिवादीगण बंटवारनामा में प्राप्त कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काश्त करते आ रहे हैं। कब्जा बाबत् आपस में कोई विवाद नहीं है तथा प्रतिवादी सं. 02 वादीगण की सगी बहिन है जिसका उक्त कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा विरास्तन हक व हिस्सा बनता है जिसका मौखिक रूप से हकत्याग अपने सगे भाईयों वादीगण के पक्ष में कर दिया है। उक्त कृषि भूमि में इस प्रकार वादीगण को घरू बंटवारनामा में निम्नलिखित कृषि भूमि प्राप्त हुई हैः—

वादी सं0—01 बिट्टू सिंह व वादी सं0—02 संदीप सिंह को ब0हि0ब0 हक व हिस्सा में आई कृषि भूमिः— वाके चक नम्बर 16 एम0के0एस0 के खाता संख्या 85/29 में 0.211 है. व इसी चक के खाता सं. 01/02 में 1.265 हैक्ट0 व चक नं. 18 एम0के0एस0 के खाता सं 53/47 में 0.101 हैक्ट0 कृषि भूमि ।

प्रतिवादी सं0–01 लाल सिंह पुत्र धर्मचन्द के हक व हिस्सा में आई कृषि भूमिः– वाके चक नं. 17 एम0के0एस0 के खाता सं. 49/40 में 0.352 है. व चक नं. 18 एम0के0एस0 के खाता सं. 53/47 में 0.420 है. कृषि भूमि।

वादीगण व प्रतिवादीगण को उक्त कृषि भूमि जिसमें उनका विरास्तन हक व हिस्सा है जिसका वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपस में घरू बंटवारनामा कर लिया है। उक्त बंटवारनामा के अनुसार ही वादीगण वाद–पत्र की चरण सं0–03 में वर्णित कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है परन्तु उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं0ः–01 के नाम होने के कारण वादीगण के हक व हकूक पर बूरा प्रभाव पड़ रहा है तथा सदैव झगड़ा होने का अन्देशा बना रहता है इसी कारण वादीगण उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की घोषणा करवाना चाहते है। वादीगण को उक्त कृषि भूमि अपने दादा धर्मचन्द से विरास्तन में प्राप्त हुई थी जिसमें वादीगण का जन्मजात विरास्तन हक व हिस्सा बनता है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0–01 के मध्य घरू बंटवारनामा हो चुका है व उसी के मुताबिक वादीगण काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काश्त करते आ रहे है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं0–01 के नाम होने के कारण वादीगण को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिये वादीगण अपने नाम की घोषणा करवाने के हकदार,मुस्तहक व दावेदार है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से उन्हें वाद–पत्र की चरण सं0ः–03 में वर्णित तथ्य अनुसार कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी पहले तो टाल मटौल करते रहे परन्तु दावा दायरी से पूर्व उन्होनें ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया, बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सिगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रति.सं. 1 ता 2 के मध्य राजीनामा पेश हुआ जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रति.सं. 3 व 4 की तरफ से जवाब दावा पेश करने पर शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में राजीनामा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां की जिनहे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी बिट्टूसिंह शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादीगण ने प्रस्तुत जमाबन्दी व आवश्यक दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए तथा उक्त कृषि भूमि विरास्तन होने की चक 16 व 17 एवं 18 एमकेएस के विरास्तन इन्तकाल की प्रमाणित प्रतियां के दस्तावेज पेश किए जिन्हे शामिल मिसल किए गए।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादपत्र में वर्णित वाके चक नम्बर 16 एम0के0एस0 के खाता संख्या 85/29 में 0.211 है. व इसी चक के खाता सं. 01/02 में 1.265 है.व चक नं. 18 एम0के0एस0 के खाता सं 53/47 में 0.101 है. कृषि भूमि तथा प्रतिवादी सं0–01 लाल सिंह को वाके चक नं. 17 एम0के0एस0 के खाता सं. 49/40 में 0.352 है. व चक नं. 18 एम0के0एस0 के खाता सं. 53/47 में 0.420 है. कृषि भूमि प्राप्त हुई है जिसका पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक नं. 17 एमकेएस के खाता संख्या 49/40 उक्त चकों की समस्त आराजी विरास्तन होने के कारण वादीगण का इसमें विरासतन हक व हिस्सा बनता है। वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने वादीगण के वाद का कोई विरोध नहीं किया व वादपत्र को स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की गई। फार्म नं. 3 के साथ वादीगण द्वारा वारिस प्रमाण–पत्र लाल सिह पुत्र धर्मचन्द का मूल ही पेश किया है। पैतृक सम्पति साक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता धर्मचन्द के नाम का चक नं. 16 एमकेएस में 304 नामान्तरण, चक नं. 18 एमकेएस के नामान्तरण संख्या 319 की प्रमाणित प्रति,चक नं. 17 एमकेएस के नामान्तरण संया 189 तथा चक नं. 16 एमकेएस के नामान्तरण संख्या 813 की प्रमाणित प्रतियां पेश की जिन्हे शामिल मिसल किया गया। दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वारिसान तस्दीक अनुसार वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये गये है। वादपत्र में वर्णित आराजी प्रतिवादी सं0ः–01 के नाम से चक नं0ः–17 एम0के0एस0 की जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खाता सं0–49/40 में 0.352 है0 व संगरिया तहसील के चक नं0ः–18 एम0के0एस0 की जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता सं0–53/47 में 0.521 है0 व चक नं0ः–16 एम0के0एस0 की जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खाता सं0–85/29 में 0.211 है. व चक नं0ः–16 एम0के0एस0

की जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खाता सं0–01/2 में 1.265 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें से वादीगण को वाके चक नम्बर 16 एम0के0एस0 के खाता संख्या 85/29 में 0.211 है. व इसी चक के खाता सं. 01/02 में 1.265 है.व चक नं. 18 एम0के0एस0 के खाता सं 53/47 में 0.101 है. कृषि भूमि तथा प्रतिवादी सं0–01 लाल सिंह को वाके चक नं. 17 एम0के0एस0 के खाता सं. 49/40 में 0.352 है. व चक नं. 18 एम0के0एस0 के खाता सं. 53/47 में 0.420 है. कृषि भूमि प्राप्त हुई है जिसका पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक नं. 17 एमकेएस के खाता संख्या 49/40 उक्त चकों की समस्त आराजी विरास्तन होने के कारण वादीगण का इसमें विरासतन हक व हिस्सा बनता है। वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने वादीगण के वाद का कोई विरोध नहीं किया व वादपत्र को स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की गई। फार्म नं. 3 के साथ वादीगण द्वारा वारिस प्रमाण–पत्र लाल सिह पुत्र धर्मचन्द का मूल ही पेश किया है। पैतृक सम्पति साक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता धर्मचन्द के नाम का चक नं. 16 एमकेएस में 304 नामान्तरण, चक नं. 18 एमकेएस के नामान्तरण संख्या 319 की प्रमाणित प्रति,चक नं. 17 एमकेएस के नामान्तरण संया 189 तथा चक नं. 16 एमकेएस के नामान्तरण संख्या 813 की प्रमाणित प्रतियां पेश की जिन्हे शामिल मिसल किया गया। दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित

तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त आराजी की घोषणा बाबत सहमति का जवाबदावा पेश किये है। वाद पत्र में वर्णित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष बहस विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया वाद पत्र में वर्णित अराजी वादीगण व प्रति.सं. 1 वादीगण के पिता के नाम होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। वादी की बहन का उक्त कृशि भूमि में विरास्तन हक था जिसका त्याग वादीगण के पक्ष में कर दिया है। पत्रावली के अवलोकन मनन के प चात् न्यायालय के मत में वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदे ा

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। वादीगण को राजस्व तहसील संगरिया के चक न. 16 एम0के0एस0 की जमाबंदी संवत् 2070–73 के खाता सं. 1/2 में 1.265 है. व इसी के खाता सं. 85/29 में 0.211 है. व चक नं. 18 एम0के0एस0 के खाता सं. 53/47 में 0.101 हैक्टर कृशि भूमि का ब0हि0ब0 खातेदार का ातकार घोशित किया जाकर वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 का नाम चक नं. 16 एम0के0एस0 के खाता सं. 1/2 व खाता सं. 85/29 में कलमजन किया जावे तथा चक नं. 18 एम0के0एस0 के खाता सं. 53/47 में प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जाकर वादीगण का नाम इसी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदे ा दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–311/2018

1 बिट्टू सिंह पुत्र लाल सिंह, जाति अराई, निवासी–मानकसर, तह0ः–संगरिया, जिला–हनुमानगढ़(राज0)
2 सन्दीप सिंह पुत्र लाल सिंह, जाति अराई, निवासी–मानकसर, तह0ः–संगरिया, जिला–हनुमानगढ़(राज0)

–वादीगण

बनाम्

1 लाल सिंह पुत्र धर्मचन्द, जाति अराई, निवासी–मानकसर, तह0ः–संगरिया, जिला–हनुमानगढ (राज0)
2 गुरप्रीत कौर पुत्री लाल सिंह, जाति अराई, निवासी–मानकसर, तह0ः–संगरिया, जिला–हनुमानगढ. (राज0)
3 ओ.बी.सी.बैंक नगराना जरिये खा प्रबन्धक ओ.बी.सी.बैंक नगराना, तहसील–संगरिया, जिला–हनुमानगढ(राज.)
4 तहसीलदार(राजस्व) सगरिया, तहसील–संगरिया, जिला–हनुमानगढ़(राज0)
5 सीतो देवी पत्नी लाल सिह जाति अराई साकिन मानकसर तहसील संगरिया।

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री कपिल कुमार गोदारा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री सुनील कुमार टाण्डी प्रतिवादी संख्या 1,2,5 व श्री रविन्द्र भोबिया प्रतिवादी संख्या 3 वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि राजस्व तहसील संगरिया के चक न. 16 एम0के0एस0 की जमाबंदी संवत् 2070–73 के खाता सं. 1/2 में 1.265 है. व इसी के खाता सं. 85/29 में 0.211 है. व चक नं. 18 एम0के0एस0 के खाता सं. 53/47 में 0.101 हैक्टर कृशि भूमि का ब0हि0ब0 खातेदार का ातकार घोशित किया जाकर वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 का नाम चक नं. 16 एम0के0एस0 के खाता सं. 1/2 व खाता सं. 85/29 में कलमजन किया जावे तथा चक नं. 18 एम0के0एस0 के खाता सं. 53/47 में प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जाकर वादीगण का नाम इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12.07.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया